



पत्रांक सं०: 5-3/ज्वार/भ./2022-23/63670637व 63970643

दिनांक: 08 जून, 2022

सेवा में

विषय: ज्वार की फसल (लगभग 2.60 है०) की बिक्री हेतु कुटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय

इस केन्द्र के मोदीपुरम रिसर्च यूनिट में ज्वार की फसल (लगभग 2.60 है०) बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति ज्वार की फसल खरीदने के लिये प्रति हैक्टेयर अधिकतम रेट लिफाफे में इस कार्यालय में दिनांक 22.06.2022 दोपहर 12:30 बजे तक प्रेषित करें। कुटेशन उसी दिन दिनांक 22.06.2022 दोपहर 3:00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जाएगी। यदि उक्त तिथि में कोई अवकाश पड़ता है तो कुटेशन अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समयानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेगी।

बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, मोदीपुरम के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हैडा (कोड सं 3067) पर देय होना चाहिये। NEFT/RTGS/UPI या अन्य किसी ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है:

बैंक का नाम - भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- पल्हैडा (कोड सं० 3067), खाता संख्या - 10172900089, IFSC Code No.- SBIN0003067

नियम एवं शर्तें:-

1. प्रत्येक क्रेता को रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/ NEFT/RTGS/UPI या अन्य किसी ऑनलाईन बैंकिंग की मूल प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। असफल ठेकेदार/कुटेशनदाता की धरोहर राशि कार्यालय आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर वापिस कर दी जायेगी जबकि सफल ठेकेदार/कुटेशनदाता की धरोहर राशि फसल निस्तारण हेतु दी गई समय सीमा के पश्चात ही वापिस की जायेगी।
2. कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात ज्वार की फसल का सम्पूर्ण भुगतान 01 कटिंग का प्रति है० की दर से कैशलेस के माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा और सम्पूर्ण भुगतान में धरोहर राशि का समायोजन नहीं किया जायेगा।
3. जिस व्यक्ति के ज्वार की फसल के रेटस अधिकतम होंगे, उसको फसल का पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात तुरन्त कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि सफल ठेकेदार/कुटेशनदाता कार्यालय आदेश में दी गई अवधि में सम्पूर्ण भुगतान कार्यालय में जमा करने में असफल रहता है तो संयुक्त निदेशक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा की वे



अधिकतम ठेकेदार/कुटेशनदाता की धरोहर राशि जब्त कर दूसरे अधिकतम बोलीदाता को फसल निस्तारण का कार्यालय आदेश जारी कर सकते हैं।

4. ज्वार की फसल अधिकतम दिनांक 10.09.2022 तक संबंधित प्रक्षेत्र से स्वयं के वाहन से उठाकर ले जाना होगा। यदि ठेकेदार/कुटेशनदाता उपरोक्त तिथि तक फसल को उठाकर ले जाने में असफल रहता है तो कार्यालय ठेकेदार/कुटेशनदाता पर रुपये 1000/- प्रति सप्ताह जोकि अधिकतम रुपये 2000/- हो सकती है तक जुर्माना लगा सकता है। उपरोक्त नियत अवधि के दो सप्ताह के पश्चात कार्यालय अपने स्तर से फसल का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और ठेकेदार/कुटेशनदाता का फसल पर कोई अधिकार नहीं रहेगा।
5. सफल ठेकेदार/कुटेशनदाता को फसल की सुरक्षा करने हेतु प्रक्षेत्र के अन्दर ठहरने व फसल के निस्तारण से अलग कोई भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।
6. ठेकेदार/कुटेशनदाता को आधार कार्ड और पेन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है।
7. संबंधित प्रक्षेत्र से किसी भी तरह के यंत्र, ट्रैक्टर तथा श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
8. कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात नुकसान होने की स्थिति में ठेकेदार/कुटेशनदाता स्वयं ही उत्तरदारी होगा और कार्यालय की नुकसान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. अन्य शर्तें यदि कोई हो तो कार्य शुरू होने से पहले बता दी जायेगी, जिसे मानने के लिये आप बाध्य होंगे।
10. आयकर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो वह भी नियमानुसार काटा जायेगा।
11. संयुक्त निदेशक केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र मोदीपुरम को यह अधिकार होगा कि वे किसी एक कुटेशन या समस्त कुटेशन को बिना कारण बताए निरस्त कर सकते हैं।

सहायक प्रशासक/निर्देशाधिकारी

वितरण -

1. सूचना पट्ट- मोदीपुरम, पाबली, सी0 ब्लॉक एवं मछरी प्रेक्षत, के0आ0अनु0सं0, क्षेत्रीय केन्द्र मोदीपुरम।
2. श्री दिनेश सिंह, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, के0आ0अनु0सं0, क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम को इस आशय के साथ कि कृपया कुटेशन को CPRIC, मोदीपुरम की वेबसाइट पर पब्लिश करें।

ज्वार की फसल (लगभग 2.60 है०) की कुटेशन हेतु प्रपत्र

- 1 नाम :
 - 2 पिता/पति का नाम :
 - 3 स्थाई पता :
 - 4 मोबाईल/फोन न० :
 - 5 आधार न० :
 - 6 पेन न० :
 - 7 धरोहर राशि : रूपये 2,000/-
 - 8 धरोहर राशि का विवरण :
- प्रति है० रेट्स रूपये :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई गई तो कार्यालय मेरे खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर